न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 99/2021 रजू दिनांकः— 27.08.2021

पीठासीन अधिकारीः— पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

मोहरसिंह पुत्र हरगोविन्द जाति मीना निवासी नांद तहसील टोडाभीम।

(वादी)

बनाम

1. उगन्ती पत्नि छुद्दन लाल मीना
2. खेमराज पुत्र छुद्दन लाल मीना
3. जामन्ती पुत्री लच्छी मीना
4. पिस्ता पुत्री लच्छी मीना
5. रामन्ती पुत्री लच्छी मीना
6. हीरो पुत्री लच्छी मीना
7. रामलखन पुत्र लच्छी मीना
8. प्रेमदेवी पत्नि लच्छी मीना
   निवासी नांद तहसील टोडाभीम जिला करौली।
9. प्रबंधक बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैक पदमपुरा तहसील टोडाभीम।
10. प्रबंघक बडौदा राजस्थान ग्रमीण बैक मोरडा तहसील टोडाभीम।
11. तहसीलदार टोडाभीम।

(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत तकास्मा आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः— श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट वादी

निर्णय दिनांकः— 11/08/2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नांद की आराजी ख0न0 1404/0.06, 1405/1793/0.09 कुल किता 2 कुल रकवा 0.15 है0 मे वादी 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी न0 1 व 2 का सयुंक्त रूप से 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी न0 3 ता 7 के पिता व 8 के पति लच्छी का 1/4 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है। ख0न0 580/0.13, 674/0.11, 675/0.08, 678/0.20, 789/0.15, 806/0.17 कुल किता 6 कुल रकवा 0.84 है0 मे वादी का 3/4 हिस्से का तथा शेष हिस्से के प्रतिवादी न0 3 ता 8 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है।

यह है कि वर्णित आराजीयात का वादी एवं प्रति[illegible] 1 ता 8 द्वारा मौके पर बहामी बटवारा कर रखा है लेकिन रिकार्ड मे विधिवत बटवारा नही [illegible] से प्रतिवादी न0 1 व 2 वादी की कमजोरी का नाजायज फायदा उठाकर [illegible] महिला होने का फायदा उठाकर आये दिन वादी के हिस्से पर कब्जे की डोल मेड तोड कर स्वंय की भूमि [illegible] मिलाने का प्रयास करती है। वादी द्वारा मना करने पर प्रतिवादी [illegible] 1 द्वारा वादी को झूठे [illegible] बलात्कार जैसे मुकदमे मे फसाने की धमकी देती है। जिससे वादी स्वंय की भूमि मे काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 14:43:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

करने मे परेशानी होती है। तथा जबरन वादी के हिस्से व कब्जे की भूमि पर कब्जा करना चाहती है। जिसका प्रतिवादी न0 1 व 2 को कोई कानूनी अधिकार नही है।

बांका दिनांक 22.08.2021 को वादी अपनी कब्जे व हिस्से की आराजी मे बोई फसल की रखवाली कर रहा था कि अचानक प्रतिवादी न0 1 व 2 मौके पर आये और वादी को धमकी दी कि तुम उक्त भूमि से अपना कब्जा हटा लो नही तो मै तुम्हे झूठे मुकदमो मे फसा दूगी और तुम्हारे हिस्से की जमीन पर कब्जा करूगी, तो वादी ने कहा कि इस जमीन पर मेरा कब्जा है और खातेदारी है इसलिये तहसील मे चलकर विधिवत बटवारा करा लेते है। लेकिन प्रतिवादी न0 1 व 2 नही माने तो प्रतिवादी न0 3 ता 8 से भी बटवारा कराने को कहा लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा बटवारा कराने से साफ इन्कार कर दिया और वादी को बेदखल कर कब्जा काश्त नही करने देने की धमकी दी जिस कारण से यह दावा तमास्मा आराजी व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादी व खिलाफ प्रतिवादीगण न0 1 ता 8 इस आशय की डिक्री किया जावे कि आराजीयात ख0न0 1404/0.06, 1405/1793/0.09 कुल किता 2 कुल रकवा 0.15 है0 मे वादी 1/2 हिस्से का तथा ख0न0 580/0.13, 674/0.11, 675/0.08, 678/0.20, 789/0.15, 806/0.17 कुल किता 6 कुल रकवा 0.84 है0 मे वादी का 3/4 हिस्से का मीट्स एण्ड बाउन्डस के आधार पर मुताबिक हिस्सा तकास्मा कराये जाने बावत तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर बटवारा स्कीम तलब किया जाकर बाद जॉच रिपोर्ट कमिश्नर दावा वादी फाईनल डिक्री किया जावे। एवं प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे वे वादी के हिस्से व कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे नाही किसी अन्य से करावे एवं विधिवत बटवारा कराये बिना मौके पर निर्माण कार्य नही करे, रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न0 11 तहसीलदार टोडाभीम उपस्थित, प्रतिवादी न0 1, 2, 8 ने प्रथम नियत पेशी पर उपस्थिति दर्ज कराई, प्रतिवादी न0 3 ता 7 व 9, 10 बावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी न0 1 व 2 की ओर से वकालतनामा पेश कर जबाब पेश किया लेकिन लेकिन दिनांक 20.05.2024 को न्यायालय द्वारा बार–बार आवाज दिलवाये जाने के बावजूद प्रतिवादी न0 1, 2, व 8 अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वादी ने दिनांक 02.07.2024 को अपना स्वंय का शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

वादी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादी वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वादग्रस्त वर्णित आराजीकुल किता 2 कुल रकवा 0.15 है0 मे वादी 1/2 हिस्से का तथा आराजीयात कुल किता 6 कुल रकवा 0.84 है0 मे वादी का 3/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वर्णित आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी न0 1 ता 8 द्वारा मौके पर बहामी बटवारा कर रखा है लेकिन रिकार्ड मे विधिवत बटवारा नही होने से आये दिन डोल मेड पर विवाद होता रहता है। इसलिये वादपत्र मे वर्णित आराजीयात मे वादी के हिस्से का मीट्स एण्ड बाउन्डस के आधार पर मुताबिक हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 14:43:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

तकास्मा कराये जाने बावत तहसीलदार टोडाभिम को बटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर बटवारा स्कीम तलब किया जाकर बाद जॉच रिपोर्ट कमिश्नर दावा वादी फाईनल डिकी किया जावे। एवं प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे वे वादी के हिस्से व कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे नाही किसी अन्य से करावे एवं विधिवत बटवारा कराये बिना मौके पर निर्माण कार्य नही करे, रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

वादी वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात का अवलोकन किया पत्रावली मे शामिल ग्राम नांद की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 के ख0न0 1404/0.06, 1405/1793/0.09 कुल किता 2 कुल रकवा 0.15 है0 मे वादी 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी न0 1 व 2 का सयुंक्त रूप से 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी न0 3 ता 7 के पिता व 8 के पति लच्छी का 1/4 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है। ख0न0 580/0.13, 674/0.11, 675/0.08, 678/0.20, 789/0.15, 806/0.17 कुल किता 6 कुल रकवा 0.84 है0 मे वादी का 3/4 हिस्से का तथा शेष हिस्से के प्रतिवादी न0 3 ता 8 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी न0 1 व 2 ने जरिये वकालतन काउन्टर क्लेम जबाब पेश किया लेकिन बाद मे अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही होने से प्रतिवादी न0 1 व 2 का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है। तथा वादी का दावा बावत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। प्राथमिक डिकी किया जाता है।

तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत बटवारा स्कीम के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन स्कीम रिकार्ड मे दर्ज हिस्सानुसार व कब्जेनुसार तैयार की गई है। तथा वादी वकील ने भी अपनी बहस मे भी कथन किया है कि तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम अनुसार दावा फाईनल डिकी कर दिया जावे। अतः वादपत्र मे वर्णित आराजीयात ग्राम नांद मे बटवारा स्कीम के अनुसार दावा निम्नानुसार फाईनल डिकी किया जाता है।

क0स0	नाम खातेदार काश्तकार	ख0न0	रकवा
1	मोहरसिंह पि0 हरगोविन्द जाति मीना सा0 देह खातेदार रहन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पदमपुरा	674/2	0.0125 है0
		675	0.08 है0
		678	0.20 है0
		580/2	0.10 है0
		789/2	0.1125 है0
		806/2	0.1250 है0
		1405/1793/2	0.0750 है0
		कुल किता 7	कुल रकवा 0.7050 है0
2	रामलखन पुत्र लच्छी, जामन्ती, [illegible] रामन्ती [illegible] हीरो पुत्रियां लच्छी, प्रेमदेवी प[illegible] लच्छी [illegible] सा0 देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा मोरडा	[illegible]74/[illegible]	0.0975 है0
		[illegible]	0.0375 है0
		58[illegible]/1	0.03 है0
		80[illegible]/1	0.0450 है0
		कुल किता 4	कुल रकवा 0.21 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 14:43:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

3	रामलखन पुत्र लच्छी, जामन्ती, पिस्ता, रामन्ती, हीरो पुत्रियां लच्छी, प्रेमदेवी पत्नि लच्छी हि0 1/2 उगन्ती पत्नि छुट्टन, खेमराज पुत्र छुट्टन हि0 1/2 सा0 देहर खातेदार रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा मोरडा हि0 रामलखन, जामन्ती, पिस्ता, रामन्ती, हीरो, प्रेमदेवी का	1404	0.06 है0
		1405/1793/1	0.0150 है0
		कुल किता 2	कुल रकवा 0.0750 है0

उक्त सूची अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। फाईनल डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11/08/2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 14:43:28 IST
Reason: SelfAttested